

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-36/2025/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 4007 दिनांक 17.11.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 शहाबुद्दीन, कनीय अभियंता (असै0), समेकित सीरीयल नं0 2323, दुर्गावती बाँध प्रमंडल-01, भीतरीबाँध को उनके द्वितीय संतान के जन्म के फलस्वरूप दिनांक 17.11.2025 से 01.12.2025 कुल-15 (पन्द्रह) दिनों तक का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश की प्रविष्टि HRMS Portal एवं सेवापुस्त में कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 4007 दिनांक 17.11.2025 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध/कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल-01, भीतरीबाँध/मो0 शहाबुद्दीन, कनीय अभियंता (असै0), दुर्गावती बाँध प्रमंडल-01, भीतरीबाँध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

446

पटना/दिनांक - 9/12/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव (प्रबंधन)।